



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA



www.rbi.org.in

आरबीआई/2025-26/69

विवि.आरईटी.आरईसी.41/12.07.160/2025-26

जुलाई 25, 2025

सभी बैंक

महोदया/महोदय

“अहमदनगर मर्चेट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल करना

यह सूचित किया जाता है कि दिनांक 8 जुलाई 2025 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित दिनांक 12 जून 2025 की अधिसूचना सीओ.डीओआर.आरएयूजी.सं. एस2017/08.02.001/2025-26 के द्वारा “अहमदनगर मर्चेट्स कॉ-ओप. बैंक लिमिटेड, अहमदनगर” को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किया गया है।

भवदीय,

(मनोरंजन पाढ़ी)
मुख्य महाप्रबंधक